



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-54
24/3/23

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-1152


दिनांक: 22/3/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजकुमार	एच.एच.-82	जविप्रा	झालाना ग्राम, मालवीय नगर	पट्टा	अपंजीकृत, इकरारनामा, मुख्तयारनामा आदि


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 650

दिनांक 24/3/22


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. (वर्ग. में)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री कृष्ण प्रकाश	स्वयं	61	262	निजी खातेदारी	शिव शक्ति विहार	फी होल्ड	मूल दस्तावेज आवेदक के पास नहीं होने से।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

346

दिनांक- 21/3/23

-:सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	हीरा देवी/गणेश राम चौधरी (अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सो0 लि0 की योजना-जदम्बा नगर)	डी-974	166.66
2	रामकंवरी देवी/रतन राम (अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सो0 लि0 की योजना-जदम्बा नगर)	डी-790 व डी-791	255.55
3	ममता/बालूराम चौधरी (अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सो0 लि0 की योजना-जदम्बा नगर)	डी-809	144.35
4	मांगीलाल चौधरी/रतन लाल (अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सो0 लि0 की योजना-जदम्बा नगर)	डी-807	163.75
5	ममता/बालूराम चौधरी (अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सो0 लि0 की योजना-जदम्बा नगर)	डी-781ए	111.11
6	भंवर लाल/रतना राम (बाबा आर. एन.गौड गु.नि.स.स.लि.की योजना-द्रोणपुरी)	244	144

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा/जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 274

दिनांक:- 22/3/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सतपाल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	पुराना नं. 204/230 नया-295	143.99	सिन्ध नगर	तीजा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्री सतपाल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	पुराना नं. 204/230 नया-295-ए	139.38	सिन्ध नगर	तीजा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
3	श्री सतपाल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	पुराना नं. 204/230 नया-295-बी	140.77	सिन्ध नगर	तीजा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
4	श्री सतपाल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	पुराना नं. 204/230 नया-295-सी	133.62	सिन्ध नगर	तीजा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
5	श्री सतपाल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रुड़मल चौपड़ा	पुराना नं. 204/230 नया-295-डी	82.60	सिन्ध नगर	तीजा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
6	श्री अमन शर्मा पुत्र श्री परमानन्द शर्मा	श्रीमती मुकेश कंवर पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह शेखावत	11	110	बाबा आर. एन.गौड़	श्री उमा विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
7	श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री गणेशराम महला	श्री अशोक पारीक पुत्र श्री दामोदर पारीक	बी-6	416.67	शांति नगर	टी.सी. नगर-ब्लॉक बी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
8	श्री गणेश राम महला पुत्र श्री भगवानाराम महला	श्री महेन्द्र पुत्र श्री तारा सिंह थाकन	3	487.67	लक्ष्मी नगर	हर्ष वाटिका	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
9	श्री मनीष पेमनानी पुत्र श्री खेमनदास पेमनानी	श्री मनीष पेमनानी पुत्र श्री खेमनदास पेमनानी	26	107	सिरोही	सूर्या नगर-सी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

10	श्रेया शर्मा पुत्री श्री राजेश शर्मा	श्रीमती वीना सहगल पत्नी श्री शशि सहगल	56	111.11	बुनियादी विकास	तिलक रेजीडेन्सी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
----	--------------------------------------	--	----	--------	-------------------	-----------------	---------------------	--

//

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 689

दिनांक 22-3-2023

अतिरिक्त जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय -- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए 8 के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....689.....

दिनांक.....22.3.2023.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सुभाष सिन्धी गृ.नि. स.स की योजना प्रताप नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा हेक्ट	स्वामित्व
झोटवाडा, जयपुर	483	0.0126	झमरी पत्नी स्व.श्री सीताराम हिस्सा 1/16 पप्पूलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/16 प्रताप पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/4 पांचू पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/4 मूल्या पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/4 लालचंद पुत्र श्री सीताराम हिस्सा 1/16 श्रवणलाल पुत्र श्री सीताराम हिस्सा 1/16 जाति माली साकिदे खातेदार
झोटवाडा, जयपुर	484	1.0117	मेटलसिंह पत्नी स्व.श्री जोगेन्द्र सिंह हिस्सा पूर्ण जाति ईसाई निवासी डी-26, टोडरमल मार्ग, जयपुर खातेदार

प्रशासन शहरो के सग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)वि/वि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 22.3.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
 जोन-06, जविप्रा, जयपुर।
 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-1130

दिनांक:- 21/3/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती हीरा देवी	ई-42	जविप्रा	झालाना डूंगरी फेज-II	पट्टा एवं नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदन द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी / लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	ग. नि. स. स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अजय कुमार मुंड पुत्र श्री बाबू लाल मुंड	खातेदार	68	116.66	निजी खातेदारी	नारायण धाम	लीजडीड	मुख्यारनाम विक्रय, एवं अपंजीकृत इकरारानामा।

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.पृथ्वीराज नगर दक्षिण-प्रथम/2023/डी- 675/24.07.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555


ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

B:\mnd\WIGYAPRA\JOINT 2022.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	प्रियंका बेनीवाल	स्वयं	20	166.66	लुनियावास गृ.नि.स.स.	गणपति एनक्लेव	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	सुमित्रा मीणा	स्वयं	33	186.63	भांकरोटा गृ.नि.स.स.	पवन विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	गौरव माथुर	ज्वाला सहाय माथुर	139	238.55	अमृतपुरी गृ.नि.स.स.	गणपति नगर	लीजडीड	पंजीकृत हकत्याग पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	ममता देवी	मुकेश	29 A	111.39	मीनावाला गृ.नि.स.स.	हनुमन्त विहार—सी	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	मोहित कुमार सैनी	गिर्राज प्रसाद सैनी	40	225.56	मित्र गृ.नि.स.स.	सुमेर नगर	लीजडीड	पंजीकृत हकत्याग पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 498
दिनांक 21.03.2024



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-598

दिनांक:-24/3/2023

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में मीनावाला गृ.नि.स.स. की योजना राज विहार कॉलोनी के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। शेष बचे हुए भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र. सं	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं.
1	श्रीमती अनीता पत्नि	श्री.रामेश्वर लाल कुमावत	6
2	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नि	श्री स्व. रामलाल	7
3	पप्पू कुमावत पुत्र	श्री लालाराम कुमावत	7-ए

अंतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

— 59 —
उपायुक्तजोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 1173

दिनांक:- 24/3/23

सार्वजनिक नोटिस


जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी रोड़ जोनल प्लान सडक (200 फीट महल रोड़ से एयरपोर्ट रोड़ को जोड़ती है) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 312 रकबा 0.26 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.12 हैक्टे. खसरा नम्बर 313 रकबा 0.63 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नम्बर 314 रकबा 0.53 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 316 रकबा 0.30 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.19 हैक्टे. खसरा नम्बर 347 रकबा 0.66 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.36 हैक्टे. खसरा नम्बर 499 रकबा 2.10 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 0.70 हैक्टे. कुल किता 6 प्रभावित रकबा 1.86 हैक्टे. के खातेदार श्री बृजेश कुमार पुत्र रामनारायण हि. 1/48, मनीषा पुत्री रामनारायण हि. 1/48, सुनीता देवी पत्नी रामनारायण हि. 1/48 एवं गोकुल पुत्र सोन्या हि. 1/36, रामराय पुत्र सोन्या हि. 1/36, हनुमान सहाय पुत्र सोन्या हि. 1/36 प्रभावित क्षेत्रफल 5812.50 व.मी. भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी सम्बन्धित जनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व सम्बन्धित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-9 कार्यालय, पार्वीग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा, जयपुर में 07 दिवस में मय समुचित सम्बन्धित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।



जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:—जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय व स्थानीय स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।


जयपुर विकास प्राधिकरण-9
जविप्रा, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 596


दिनांक 24/3/2023

आम सूचना

श्री आदर्श कुमार सिंह राघव द्वारा भूखण्ड संख्या 36-ए योजना गोम्स डिफेन्स कालोनी का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके लिये उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज जविप्रा में समर्पित करवाये जाने हैं। अतः श्री आनन्द बिहारी पुत्र श्री मंगल बिहारी द्वारा उक्त भूखण्ड की मूल लीजडीड आम सूचना जारी होने की तिथि से सात दिवस के भीतर इस कार्यालय में समर्पित नहीं करवायी जाती है तो नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार के स्पष्टीकरण आदेश क्रमांक: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में लीजडीड निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।


उत्पायुक्त, जोन-7
जयपुर जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उत्पायुक्त, जोन-7
जयपुर जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-7365

दिनांक 24-3-23


-: सावर्जनिक सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार


है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या मुखण्ड संख्या	मुखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिनके अंतर्गत आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री संजय कुमार पुत्र श्री भीखाराम	श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री भीखाराम	96	200	भैरव	आमी नगर	फी-होल्ड पट्टा	पंजीयन हकत्याग पत्र

आवेदक द्वारा पंजीयन हकत्याग पत्र के आधार पर फी-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त मुखण्ड का फी-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696: Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी- 644

दिनांक:- 29/3/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-लबाना तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1584 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1585 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1586 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 1857 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 1588 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 1589 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 1590 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, 1591 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 1592 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1593 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, 1619 रकबा 0.4700 हेक्टेयर किता-12 कुल रकबा 2.3500 हेक्टेयर भूमि की रिसोर्ट प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा राजस्व ग्राम-लबाना तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1584 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1585 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1586 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 1857 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 1588 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 1589 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 1590 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, 1591 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 1592 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1593 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, 1619 रकबा 0.4700 हेक्टेयर किता-12 कुल रकबा 2.3500 हेक्टेयर भूमि की रिसोर्ट प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु संलग्न लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचारे पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि-मसबू रिसोर्ट प्रा०लि० निदेशक मनोज कुमार पुत्र श्री दुलारी मल निवासी-1 सिन्धी कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 24/03/2023

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102476

लोक सूचना

श्री MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED DIR. MANOJ KUMAR पुत्र श्री DULARI MAL जाति SINDHI निवासी 1 SINDHI COLONY JHOTWARA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1538 1583	1000	0.1
2.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1584	1000	0.1
3.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1585	1000	0.1
4.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1586	900	0.09
5.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1587	1200	0.12
6.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1588	1100	0.11
7.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1589	1100	0.11
8.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1590	1600	0.16
9.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1591	900	0.09
10.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1592	1000	0.1
11.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1593	8000	0.8
12.	लबाना, आमेर (जयपुर)	MASBU RESORTS PRIVATE LIMITED	1619	4700	0.47
कुल					2.35


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के

ez

निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-03-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-7/2023/डी-592
आम-सूचना

दिनांक - 22/3/23

श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल द्वारा मित्र गृ.नि.स.स. लि० की योजना एकता नगर-सी-4(नया 278) के भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 615 वर्गगज का सहकारी समिति द्वारा श्री किशन लाल टेलर पुत्र श्री गोपाल लाल टेलर के नाम से दिनांक 10.12.1997 को जारी आवंटन-पत्र पर ही सहकारी समिति से नाम हस्तांतरण के आधार पर भूखण्ड संख्या 04(नया 278) प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख चाहा गया है।

योजना एकता नगर-सी के सहकारी समिति के मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 279 के उत्तर दिशा में स्थित है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 202.50 वर्गगज है एवं ग्राम धावास तह.जयपुर के खसरा नम्बर 135 में स्थित है। एकता नगर-सी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 02.03.2023 के अनुसार उक्त भूखण्ड का पट्टा श्री किशन लाल टेलर के के नाम से विकास समिति के पास दर्ज है। सदस्यता सूची में इनका नाम दर्ज है। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के नाम जारी करने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता की प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर मौके पर चारदीवारी बनी हुई है एवं भूखण्ड संख्या 278, भूखण्ड संख्या 279 एवं भूखण्ड संख्या 280 से लगता हुआ है।

अतः सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन-पत्र, मौके पर कब्जानुसार, भूखण्ड का शेष भाग 300.00 वर्गगज योजना एकता नगर-सी-4 में खसरा नम्बर 135 की भूमि में सम्मिलित करते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 278 का पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो उक्त आम सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर देवे। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उपायुक्त जोन-07

उपायुक्त एवं विप्रा.अधिकारी
जोन-7, जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिवस पश्चात मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-07